

# कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)

/विज्ञापन/

कमांक 13 / तीन-03-01 / 2006

रायपुर, दिनांक 13/06/2022

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25.06.2022 के कार्यालयीन कार्य दिवस में 5.00 बजे तक

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर के अंतर्गत आकस्मिकता स्थापना में जिलाध्यक्ष दर पर वेतन प्राप्त करने वाले फर्राश, माली, वाटरमेन, चौकीदार एवं स्वीपर के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है :-

रिक्त पदों का विवरण :-

क	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद				
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				सामान्य वर्ग				
			मुक्ता	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै	मुक्ता	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै	मुक्ता	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै	मुक्ता	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी(कलेक्टर दर पर)																			
1	फर्राश	14	-	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-	07	03	-	-	
	मली																		
	वाटरमेन																		
	चौकीदार																		
	स्वीपर																		

शैक्षणिक योग्यता :-

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा - 5वी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें, साथ ही यदि किसी अन्य कार्य में विशेषज्ञता रखते हों जैसे ड्रायवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन बढ़ई एवं प्लम्बर तो उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी ।  
नोट :- अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिये ।

अन्य शर्त :-

1. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए ।
2. दिनांक 01.01.2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परन्तु 40 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिये ।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं निशक्तजनों को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छुट की पात्रता होगी :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष
2. महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष ।
4. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जातिप्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध विचारित किया जावेगा ।
5. आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा ।
6. आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी ।
7. एक से अधिक पति/पत्नी न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे ।
8. टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार हस्ताक्षरित कर स्व-प्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज(यथा जन्म/आयु प्रमाण पत्र कथा 5वीं प्रमाण पत्र) जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद " आकस्मिकता स्थापना में जिलाध्यक्ष दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र – फरार्शी, माली, वाटरमेन, चौकीदार, एवं स्वीपर लिखा हो, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । उपरोक्त आवेदन पत्र कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे । पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा । दिनांक 25.06.2022 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा ।
- (2) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के शासकीय वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/raipur> में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है ।
9. अभ्यर्थी पृथक-पृथक पद हेतु आवेदन पत्र पृथक-पृथक पेश करें ।
10. विज्ञापन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे । प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र स्वमेय निरस्त माना जावेगा । अपूर्ण अथवा बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । आवेदक किस पद हेतु आवेदन कर रहा है उसका आवेदन पत्र में उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना अनिवार्य है ।

11. प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय आवेदक की ओर से शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो, चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में, नियुक्ति किसी भी समय निरस्त/समाप्त की जावेगी । आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा ।
12. चयन समिति को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी आवेदन पत्र या समस्त आवेदन पत्रों को छंटाई के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेंगे ।
13. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा सम्पन्न की जावेगी तथा आवेदन पत्रों की छटनी उपरांत अर्ह उम्मीदवारों का 10 अंक का साक्षात्कार लिया जावेगा । इस समिति को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा ।
14. अधिक मात्रा में प्राप्त आवेदन की स्थिति में सीमित करने हेतु कक्षा 5 वी स्तर पर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण के अतिरिक्त अन्य योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जावेगा ।
15. आवेदनों की छंटाई पश्चात् पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला न्यायालय, रायपुर की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/raipur> पर अपलोड किया जावेगा । अभ्यर्थी द्वारा पात्र/अपात्र के संबंध में आपत्ति की जा सकेगी । तत्पश्चात् अंतिम पात्रता सूची भी जिला न्यायालय की वेबसाईड में घोषित की जावेगी । दावा आपत्ति की अंतिम तिथि एवं साक्षात्कार तिथि जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/raipur> पर अपलोड किया जावेगा । दावा आपत्ति की अंतिम तिथि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
16. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ प्राप्त प्रवेश पत्र में स्वयं का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर पहचान पत्र (यथा ड्राईविंग लायसेंस/वोटर आई.डी./आधार कार्ड/पैन कार्ड ) एवं शैक्षणिक योग्यता व विशेष योग्यता संबंधी दस्तावेज की मूल प्रति के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित रहना होगा । उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
17. साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जावेगी, जिसके साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी ।
18. साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जावेगी अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी ।

- 19 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होंगी तथा उनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने पर कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।
- 20 प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें । यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी । त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा ।
- 21 जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं आवश्यक जांच एवं परीक्षण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवार किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार चयन समिति सुरक्षित रखती है ।
- 22 आवश्यकतानुसार रिक्त पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है ।

रायपुर  
दिनांक 13.06.2022

सही /—  
अध्यक्ष  
चयन समिति  
कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर